सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024 / 511 दर्ज तिथिः–18.11.2024

1. पुरखा पुत्र पेमा
2. शेम्भूराम पुत्र कोसलाराम
   जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी, पटवार हल्का गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. उम्मेदा पुत्र किस्तुरा
2. मुकमना पुत्र किस्तुरा
3. मोहन पुत्र किस्तुरा
4. चौथा पुत्र डुंगरा
5. दुर्गा पुत्र डुंगरा
6. जसाराम पुत्र सताराम
7. जोगाराम पुत्र सताराम
8. दौलाराम पुत्र शेराराम
9. धर्माराम पुत्र शेराराम
10. सुखाराम पुत्र शेराराम
11. मूलाराम पुत्र हिराराम
12. लाछी पत्नी हिराराम
13. हरजीराम पुत्र थानाराम
    जाति जाट निवासी बांकाणी सारणों की ढाणी, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर

............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः–श्री डालुराम चौधरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–01.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–
    - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 90/13.2656 है0, 90/1/0.4371 है0 गै0मु0 रास्ता, 90/2/23.8764 है0 मौजा बांकाणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 13 की संयुक्त खातेदारी आराजी है।
    - कि उक्त आराजी के मूल खसरा संख्या 90 के मध्य से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.03.2016 के अनुसार तहसीलदार नोखड़ा के आवेदन पर उक्त आराजी में गै0मु0 रास्ता का इन्द्राज किया जाकर उक्त रास्ते की भूमि को खसरा संख्या 90/1/0.4371 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया। उक्त खसरा संख्या 90/1/0.4371 है0 गै0मु0 रास्ते की तरमीम मौके पर बिना नाप किये गये की गई। उक्त खसरा संख्या 90/1/0.4371 है0 गै0मु0 रास्ते की तरमीम करते वक्त मूल खसरा संख्या 90 में कुल 06 मोड़ दिये गये हैं। परंतु उक्त मोड़ पक्षकारान की आराजी की बिना पैमाईश एवं नाप के दिये गये होने से मौके एवं रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई। जिससे मौके पर चलित रास्ते एवं नक्शा लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 90/1/0.4371 है0 गै0मु0 रास्ते की तरमीम वर्तमान चलित रास्ता अनुसार लट्ठा ट्रैस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण जरिये असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 04 ता 13 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक परिशिष्ट–अ तरमीम दुरूस्त किये जाने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/एलआर/2025/262 दिनांक 08.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 90/1/0.4371 है0 गै0मु0 रास्ता मौके पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चालू होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल–ए–खारिज है। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2025 / 262 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2025 / 262 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2025 / 262 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
   1. कि उक्त आराजी के खसरे की तरमीम मौके पर वास्तविक रूप से चालू / संलग्न परिशिष्ट–अ में लाल रंग से दर्शित भूमि के विपरीत अंकित की गई है।
   2. कि उक्त आराजी के खसरे के मौके पर वास्तवित रूप से चालू / संलग्न परिशिष्ट–अ में लाल रंग से दर्शित भूमि पर वर्तमान में डामर सड़क बनी हुई है।
   3. कि आराजी के खसरे के मौके पर रास्ते के आदेश के अनुसार ही तरमीम की गई थी।
   4. कि उक्त आराजी के रास्ते हेतु रास्ते की भूमि को वास्तवित चालू रास्ता (जहां डामर सड़क बनी हुई है) / परिशिष्ट–अ के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।
   5. कि आराजी खसरा संख्या 90, 90 / 2, 90 / 1 की तरमीम निम्नानुसार दुरूस्त किया जाना उचित हैः–

राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	बरंग
बांकाणी सारणों की ढाणी	90	13.2656	बा0दो0	नीला
	90 / 2	23.8764	बा0दो0	केसरिया
	90 / 1	0.4371	गै0मु0 रास्ता	हरा

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2025 / 262 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2025 / 262 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी की तरमीम मुताबिक रास्ते के आदेश अनुसार ही रास्ते की तरमीम अंकित की गई है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / एलआर / 2025 / 262 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा उक्त रास्ते की तरमीम मुताबिक रास्ते के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

पुरखाराम बनाम उम्मेदा
2024/511
निर्णय दिनांकः—01.08.2025

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested